<u>विज्ञापन</u>

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के एक (01) पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के एक (01) पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पूर्णकालिक सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसने दिवाला या शोधन अक्षमता से संबंधित समस्याओं के समाधान में अपनी क्षमता प्रदर्शित की हो और विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो।

3. पूर्णकालिक सदस्य के पास भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन या 4,00,000/-रुपए प्रतिमाह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

4. पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 द्वारा विनियमित होंगे जो www.ibbi.gov.in तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर www.mca.gov.in पर उपलब्ध हैं।

5. पूर्णकालिक सदस्य की कार्यावधि 5 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

6. पात्र अधिकारियों/प्रतिष्ठित योग्य व्यक्तियों, जो इच्छुक हों और जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के संबंध में आवेदन, विभागाध्यक्ष (जहां लागू हो) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित/प्रति हस्ताक्षर करते हुए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किए जाएं:-

(i) पिछले पांच वर्षों की पूर्ण वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) डोजियर की अभिप्रमाणित छाया प्रतियां।

(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

(iii) सतर्कता निकासी, इस आशय के प्रमाणपत्र सहित कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है न ही विचाराधीन है।

(iv) पिछले दस वर्षों के दौरान अभ्यर्थी पर लगाए गए प्रमुख/गौण शास्तियों की सूची, यदि कोई हो अथवा 'कोई शास्ति नहीं' प्रमाणपत्र।

7. **अभ्यर्थियों के बिना एपीएआर डोजियर के (जहां लागू हो) प्राप्त आवेदनों अथवा जहां पूरी सूचना नहीं दी गई हो अथवा आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुए हैं, तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

8. जिस मामले में पैराग्राफ 6 में दिए गए दस्तावेज लागू नहीं है, वहां आवेदनों के साथ आवेदक की पात्रता के समर्थन में विधिवत रूप से अधिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

9. यह नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 189(3) में यथाउपबंधित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

10. सहायक दस्तावेजों के साथ इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन उचित माध्यम से (जहां लागू हो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित किए जाएं और आर एंड आई, गैराज सं. 14, गेट नं-2, 'ए' विंग, भूतल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाने चाहिएं। **पूर्ण रूप से भरे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 03.09.2022 है।**

(प्रशान्त रस्तोगी)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>अनुलग्नक-I</u>

<u>भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के पद के लिए आवेदन का प्रारूप</u>

1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो चिपकाएं
2.	पद, जिसके लिए आवेदन किया गया है:		
3.	जन्म तिथि (वैध दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)		
4.	पिता का नाम		
5.	क्या अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग का है [संगत प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें]		
6.	पत्र-व्यवहार का पता [दूरभाष सं./फैक्स सं. सहित]		
7.	मोबाइल सं. [अनिवार्य]		
8.	ई-मेल आईडी [अनिवार्य]		
9.	स्थायी पता (दूरभाष सं./फैक्स सं. सहित)		

10.	वर्तमान वृत्ति/पेशा/सेवा	
11.	विगत तीन वर्षों के दौरान पेशे से होने वाला आय/परिलाभ (कृपया वर्ष-वार ब्यौरा दें)	

12. प्रतिवर्ती कालक्रम में शैक्षणिक अर्हता का ब्यौरा :
(डिग्री/डिप्लोमा की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

विश्वविद्यालय/ समतुल्य संस्था का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता	अकादमिक विशिष्टता	विषय/ विशेषज्ञता

13. विज्ञापन के पैरा 2 के संगत पात्रता मानदंड के बारे में उल्लेख करें : जिसे आवेदक द्वारा पूरा किया जा रहा हो।

14. नीचे दिए गए आरूप में प्रतिवर्ती कालक्रम में वर्तमान तथा पूर्ववर्ती नियोजन का ब्यौरा (कृपया सहायक-स्वरूप दस्तावेज संलग्न करें):

नियोक्ता का नाम एवं पता	पदनाम, वर्तमान वेतन सहित वेतनमान	क्या नियमित/ प्रतिनियुक्ति पर/तदर्थ है	सेवा की अवधि		कार्य का स्वरूप/ अनुभव
			से	तक	

15.	कोई अन्य विशेष अर्हता (अर्हताएं) या अनुभव या विज्ञापन से संबंधित अनुभव सहित आवेदनकर्ता के नाम से कोई प्रकाशन (**पृथक शीट संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो**)	
16.	पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपेक्षित अवधि या नोटिस	
17.	क्या भारत में अथवा भारत से बाहर स्थित किसी न्यायालय के समक्ष कोई आपराधिक या सिविल मामला लंबित हैं	हां/नहीं (पृथक शीट पर ब्यौरा प्रस्तुत करें, यदि कोई मामला लंबित हो)
18.	यदि अभ्यर्थी सरकारी सेवा में नहीं हो, तो जिम्मेवार पदों पर आसीन दो संदर्भ व्यक्तियों [जो रिश्तेदार नहीं हो] के नाम, पता, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है। चयन होने की स्थति में, मैं सरकार द्वारा उक्त पद से संबद्ध भविष्य में कभी भी निर्दिष्ट किए जाने वाले सेवा से संबंधित सभी निबंधन और शर्तों का पालन करूंगा।

स्थान :-

तारीख :-

(हस्ताक्षर)

नाम :____________________________

<u>संलग्नक:-</u>

<u>अनुलग्नक-II</u>

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएं)

प्रमाणित किया जाता है कि .... द्वारा दी गई विशिष्ट जानकारी सही है तथा वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव को धारित करते/करती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

i. श्री/श्रीमती................................... के विरुद्ध कोई सतर्कता संबंधी अथवा अनुशासनिक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।
ii. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
iii. उनका एपीएआर डोजियर मूलरूप में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा विगत पांच वर्षों की एपीएआर की विधिवत् अनुप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न हैं।
iv. "विगत दस वर्षों के दौरान उन पर कोई प्रमुख/गौण शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।"
v. विगत दस वर्षों के दौरान उन पर अधिरोपित प्रमुख/गौण शास्तियों की सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर---------------------------

नाम तथा पदनाम-------------------------------------

दूरभाष सं. ----------------------------------

कार्यालय की मोहर

स्थान :

तारीख :

संलग्नकों की सूची :

1.
2.
3.
4.
5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

ADVERTISEMENT

Subject: - Invitation of application for one (01) post of Whole Time Member in the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

1. Applications are invited for one (01) post of Whole Time Member (WTM) in the Insolvency and Bankruptcy Board of India, a statutory body established under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.

2. The Whole Time Member shall be a person of ability, integrity and standing, who has shown capacity in dealing with problems relating to insolvency or bankruptcy and have special knowledge and experience in the field of Law, Finance, Economics, Accountancy or Administration.

3. The Whole Time Member shall have an option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India or Consolidated salary of Rs.4,00,000/- per month.

4. The terms and conditions of service of the Whole Time Member shall be regulated by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and Members) Rules, 2016, as amended from time to time under and available on the website **www.ibbi.gov.in** and **www.mca.gov.in.**

5. The term of office of the Whole Time Member shall be upto a period of 5 years or till the attaining of age of sixty-five years whichever is earlier.

6. The application in respect of eligible officers/eminent qualified persons, who are interested and can be spared in the event of selection may be forwarded, duly verified/countersigned by the Head of Department (wherever applicable) along with the following documents: -

(i) Attested photocopies of last 5 years of completed Annual Performance Assessment Report (APAR) dossiers;

(ii) Integrity Certificate;

(iii) Vigilance Clearance including certification that no disciplinary proceeding(s) or criminal proceeding(s) are either pending or contemplated against the officer concerned;

(iv) List of major/minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10 years/No Penalty Certificate.

7. **The application of candidates received without the APAR dossier (wherever applicable) or which does not contain the complete information or received after the due date shall not be entertained**. The candidate who volunteers to be considered will not be allowed to withdraw his/her name later.

8. In case where documents indicated in Para 6 are not applicable, applications should be accompanied by duly authenticated documents in support of the applicant's eligibility.

9. The appointment shall be made by the Central Government on recommendation of the Selection Committee as provided under Section 189(3) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

10. Application in the proforma annexed herewith along with supporting documents should be forwarded through proper channel (wherever applicable) so as to reach the undersigned in the Ministry of Corporate Affairs, R & I, Garage No. 14, Gate No. -2, A-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi. **The last date for receipt of applications complete in all respect is 03.09.2022.**

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Government of India

Annexure I

FORMAT OF APPLICATION FOR THE POST OF WHOLE TIME MEMBER IN THE INSLOVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

1.	Name in Full (IN BLOCK LETTERS)		Attested copy of passport size photograph to be pasted
2.	Post applied for:		
3.	Date of Birth (valid documentary proof to be enclosed)		
4.	Father's Name		
5.	Whether SC/ST/OBC (Attested copy of the relevant certificate to be attached)		
6.	Correspondence Address (Including Telephone Number/Fax Number)		
7.	Mobile No (mandatory)		
8.	Email id (mandatory)		
9.	Permanent Address (Including Telephone/Fax Number)		
10.	Present occupation/Profession/Service		
11.	Professional income/emoluments for the last three years (give year-wise details)		

12.	Educational Qualifications in the reverse chronological order: (Attested copies of Degree/Diploma to be attached)					
	Name of University/ Equivalent Institution	Degree	Year of Passing	Percentage of Marks Obtained	Academic Distinction	Subject/ Specialisation
13.	State the relevant eligibility criteria in para 2 of the advertisement, which is satisfied by the Applicant.					

14.	Details of present and previous employment in reverse chronological order in format given below (please attach supporting documents):					
	Name and address of employer	Designation, scale of pay including present pay.	Whether regular/deputation/ Ad-hoc	Period of service		Nature of duty/experience
				From	To	

15.	Any other special qualification(s) or experience or publication to the applicant's credit including experience in dealing with advertisement. (**Attach separate sheet, if required**)	
16.	Period or notice required for joining the post	
17.	Whether any criminal/civil case pending before any court of India or abroad	Yes/No (please furnish the details in separate sheet if any case is pending)
18.	Name, Address, mobile no and email id of two references in responsible positions (Not being relatives) in case of candidates not in Government Service	

It is certified that the information furnished above is correct and true to the best of my knowledge. In the event of my selection, I shall abide by the terms and conditions of services attached to the post as and when framed by the Government.

Place:-

Date:-

(Signature)

Name:________________________

Enclosures:-

<u>Annexure II</u>

(Certificate to be furnished by the Employer/Head of office/Forwarding authority)

Certified that the particulars furnished by ______________________________ are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in vacancy circular. It is also certified that: -

i. There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Sh. /Smt.---------------------------.

ii. His/her integrity is certified.

iii. His/her APAR dossier in original is enclosed/photocopies of the APAR for the last five years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above, are enclosed.

iv. “No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years.”

v. A list of major/minor penalties imposed on him/her last ten years is enclosed.

Signature---------------------------
Name and Designation-------------------------------------
Tel. No. ---------------------------------
Office Seal

Place:

Date:

List of enclosures:
1.
2.
3.
4.
5.

(Strike out which is not applicable)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2016/भाद्र 7, 1938
No. 597] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 7, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 831(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 की 31) की धारा 189 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (य घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 है।

   (2) ये नियम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अभिप्रेत है;

   ख) "बोर्ड" से इस संहिता की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;

   ग) "अध्यक्ष" से संहिता की धारा 189 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

   घ) "पूर्णकालिक सदस्य" से संहिता की धारा 189 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त एवं परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें संहिता में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अभिप्राय होंगे जो उन्हें संहिता में दिए गए हैं;

3. **अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें.**—(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिनका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं हैं या नहीं होंगे, जो अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकें।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, उस अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जैसा भी मामला हो, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य बोर्ड में अपना पदत्याग करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे बशर्ते कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति ली गई हो।

4. **वेतन.**—(1) अध्यक्ष के पास भारत सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य या 4,50,000 रुपए प्रतिमाह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(2) प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य के पास भारत सरकार के अपर सचिव के लिए स्वीकार्य या 3,75,000 रुपए प्रतिमाह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(3) किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में भारत सरकार के क्रमशः सचिव और अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो और जो पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि या अन्य निधि में अंशदान या सेवानिवृत्त लाभ के माध्यम से कोई सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करता हो, या प्राप्त की हो, या प्राप्त करने का हकदार हो, के वेतन और भत्तों में से उसके द्वारा आहरित या आहरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि और ग्रेच्युटी या अंशदायी पेंशन निधि में नियोजनकर्ता के अंशदान की राशि या किसी अन्य रूप में नियोजनकर्ता द्वारा अंशदान की राशि कम की जाएगी।

5. **महंगाई भत्ता** - ऐसा अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य, जिसने भारत सरकार के क्रमशः सचिव और अपर सचिव को स्वीकार्य वेतन का विकल्प चयन किया हो, केन्द्रीय सरकार के 'क' समूह के समकक्ष पद वाले अधिकारी को स्वीकार्य दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त रहेगा।

6. **सत्कार भत्ता** - अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य प्रतिवर्ष अधिकतम 6,000/- रु. के सत्कार भत्ते का हकदार होगा।

7. **अवकाश** - अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य निम्नानुसार किसी अवकाश के हकदार होंगे:

(1) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर वर्ष के लिए तीस दिनों के हिसाब से अर्जित अवकाश:

परंतु कि अवकाश खाते में दो किश्तों में, प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई से अग्रिम रूप से 15 अर्जित अवकाश जमा किए जाएंगे;

परंतु यह भी कि पूर्व छः माह समाप्त होने पर खाते में जमा अर्जित अवकाश को अगले छः माह के खाते में इस शर्त के अधीन अग्रेणीत किया जाएगा कि अग्रेणीत की जाने वाली और खाते में छः माह के लिए जमा की गई छुट्टी 300 दिन से अधिक न हो;

(2) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के संबंध में बीस दिनों के हिसाब से चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी मामलों में अर्द्धवेतन अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की प्रत्येक पहली जनवरी और पहली जुलाई को दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम जमा कर दिया जाएगा।

(3) अर्द्धवैतनिक अवकाश को अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य के निर्णय पर पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि यह चिकित्सा आधार पर लिया गया है और उसके साथ किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न है;

(4) किसी कैलेण्डर वर्ष में आठ दिनों के हिसाब से आकस्मिक अवकाश;

(5) एक कैलेण्डर वर्ष में अपनी पसंद से दो दिन का प्रतिबंधित अवकाश;

(6) एक पदावधि में अधिकतम 180 दिनों तक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के बिना असाधारण अवकाश; और

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों में से किसी कैलेण्डर वर्ष में वेतन और भत्तों के बिना असाधारण अवकाश।

8. **अवकाश स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी** - अध्यक्ष किसी पूर्णकालिक सदस्य का अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष का अवकाश स्वीकृत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. **भविष्य निधि** - अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए हकदार होंगे।

10. **यात्रा भत्ता**- (1) अध्यक्ष, दौरे या स्थानान्तरण के दौरान (जिसमें बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या बोर्ड में कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपने पैतृक निवास जाने के लिए की गई यात्रा शामिल है।) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी कार्यों के लिए परिवहन और ऐसे अन्य मामलों के लिए उसी वेतनमान और उसी दर के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के सचिव के लिए निर्धारित है।

(2) दौरे या स्थानान्तरण के दौरान एक पूर्णकालिक सदस्य (जिसमें बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या बोर्ड में कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपने पैतृक निवास जाने के लिए की गई यात्रा शामिल है।) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी कार्यों के लिए परिवहन और ऐसे अन्य मामलों के लिए उसी वेतनमान और उसी दर के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के समतुल्य रैंक के समूह 'क' अधिकारी के लिए निर्धारित है।

11. **यात्रा रियायत भत्ता** – (1) अध्यक्ष, यात्रा रियायत भत्ते के लिए उसी दर और उसी वेतनमान के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के सचिव के लिए लागू है।

(2) एक पूर्णकालिक सदस्य यात्रा रियायत भत्ते के लिए उसी वेतनमान और उसी दर के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी के लिए है।

(3) यात्रा रियायत भत्ते से संबंधित अन्य निबंधन केन्द्र सरकार के समकक्ष स्तर के समूह के अधिकारियों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे।

12. **आवास** – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किराया मुक्त असज्जित आवास के अधिकारी होंगे और बोर्ड, अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आवास स्थान की टाईप, खरीद मूल्य या किराए का अनुमोदन करेगा।

(2) आवास में रहने वाला व्यक्ति आवास में प्रयुक्त, बिजली और ईंधन प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अपने खुद के आवास में रह रहे हैं या निजी व्यवस्था करते हैं, वे अपने मूल वेतन और मकान किराया भत्ता, जैसा कि भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी के लिए स्वीकार्य है, का 10% प्रतिपूर्ति के रूप में पाने के हकदार होंगे।

(4) ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जिसने प्रतिमाह क्रमशः 4,50,000/- रुपए और 3,75,000/- के समेकित वेतन का चुनाव किया है, के लिए इस नियम में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

13. **परिवहन** – (1) अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य सरकारी प्रयोजनों के लिए बोर्ड के स्टाफ कार के हकदार होंगे।

(2) बोर्ड द्वारा किसी प्रकार के यात्री वाहन की खरीद नहीं की जाएगी और भाड़े पर वाहन लेकर आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जिसने प्रतिमाह क्रमशः 4,50,000/- रुपए और 3,75,000/- के समेकित वेतन का चुनाव किया है, के लिए इस नियम में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

14. **बोनस** - अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य बोनस के हकदार नहीं होंगे।

15. **बैठक शुल्क और बोर्ड की बैठकें** - अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के बैठक शुल्क के हकदार नहीं होंगे।

16. **अवकाश का नकदीकरण** - अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी पर लागू नियम के अनुसार अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे जो अधिकतम 300 दिनों का होगा जिसमें सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश नकदीकरण भी शामिल हैं।

17. चिकित्सा उपचार की सुविधा – अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आएंगे।

18. शेष प्रावधान - अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य की सेवा की शर्तों जिसके संबंध में इन अनियमों में कोई प्रावधान नहीं है, प्रत्येक मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा और इन पर केन्द्र सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा।

19. अंशकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन – (1) एक पूर्णकालिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और जिससे उसके अंश कालिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य, अपनी नियुक्ति के आदेश में यथाविहित अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा जो तीन वर्षों से अधिक न हो परन्तु वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त एक अंशकालिक सदस्य, पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है, के शेष कार्यकाल की अवधि तक कार्य करेगा।

20. अंशकालिक सदस्य के शुल्क और भत्ते – (1) एक अंशकालिक सदस्य उसके द्वारा भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड की बैठक के लिए एक हजार रुपए के पारिश्रमिक का हकदार होगा।

(2) एक अंशकालिक सदस्य दौरे के दौरान (जिसमें बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए की गई यात्रा शामिल है) उसी दर और वेतनमान पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि भारत सरकार के अपर सचिव के लिए लागू किया गया है।

21. छूट देने का अधिकार – केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में छूट देने का अधिकार होगा।

[फा. सं. 30/3/2016-दिवाला]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2016

G.S.R. 831(E).—In exercise of the powers conferred in clause (zd) of the sub-section (2) of section 239 read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(b) "Board" means the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under sub-section (1) of section 3 of the Code;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 189 of the Code;

(d) "whole-time member" means the member of the Board appointed under clause (d) of sub-section (1) of section 189 of the Code;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. **Terms and conditions of service of Chairperson and members.**- (1)The Chairperson and the whole-time member shall be a person who shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or member.

(2) The Chairperson and whole-time member appointed to fill-up a causal vacancy shall hold office for the remainder period of the term of the Chairperson or, as the case may be, whole-time member in whose place he is appointed.

(3) The Chairperson and whole-time member shall not accept any employment before the expiry of a period of one year from the date of demitting the office in the Board, except with the previous sanction of the Central Government.

4. **Pay.** – (1) The Chairperson shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs 4,50,000 per month.

(2) Every whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs 3,75,000 per month.

(3) In the case of an appointment of a person as the Chairperson or a whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India respectively, who has retired from service under the Central Government or the State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other Funds or retirement benefits, the pay and allowances of such Chairperson or member, as the case may be, shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

5. **Dearness Allowance.**– The Chairperson and a whole-time member who has opted pay as admissible to a Secretary or an Additional Secretary to the Government of India respectively shall receive dearness allowance at the rates admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government of equivalent rank.

6. **Entertainment Allowance.**– The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to entertainment allowance subject to a maximum of Rs. 6,000 per annum.

7. **Leave.**- The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to a leave as follows:-

(1) Earned Leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service:

Provided that the leave account shall be credited with earned leave in advance in two installments of fifteen days each from the first day of January and first day of July of every calendar year:

Provided further that the earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credited for half year do not exceed three hundred days.

(2) Half Pay Leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service to be credited in advance in two installments of ten days each on first day of January and first day of July of every calendar year and leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during he earned leave;

(3) Leave on Half Pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairperson or a whole-time member, if it is taken on medical grounds and is supported by a Medical Certificate by a competent medical authority;

(4) Casual Leave at the rate of eight days in a calendar year;

(5) Restricted holidays at the rate of two days in a calendar year availing to their choice;

(6) Extra-ordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office ; and

(7) Extra-ordinary leave without pay and allowances in a calendar year out of the holidays notified by the Central Government.

8. **Leave Sanctioning Authority.**- The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to a whole-time member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

9. **Provident Fund.**- The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to subscribe to the Contributory Pension Fund.

10. Travelling Allowance.- (1) The Chairperson, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Board or on the expiry of his term with the Board proceeds to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rate as are prescribed for a Secretary to the Government of India.

(2) A whole-time member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Board or on the expiry of his term with the Board proceeds to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed for Group 'A' officer of equivalent rank of the Central Government.

11. Leave Travel Concession.– (1) The Chairperson shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Secretary to the Government of India.

(2) A whole-time member shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Group 'A' officer of the equivalent rank of the Central Government.

(3) Other conditions relating to Leave Travel Concession shall be governed by the rules relating to Group 'A' officers of the same rank of the Central Government.

12. Accommodation.– (1) The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to rent free unfurnished house and the Board shall approve the type of accommodation, purchase price or rent of the house to be used for residence by the Chairperson or a whole-time member.

(2) Charges for water, electricity and fuel consumed in the house shall be borne by the occupant of the house.

(3) Where the Chairperson or a whole-time member occupies his own accommodation or makes private arrangements, he shall be entitled to a compensation comprising of ten per cent of his Basic Pay and House Rent Allowance as admissible to a Group 'A' officer of the Government of India.

(4) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time member who has opted a consolidated salary of Rs. 4,50,000/- per month or 3,75,000/- respectively.

13. Conveyance.– (1) The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to a staff car of the Board for official purpose.

(2) No passenger vehicle shall be purchased by the Board and requirement of vehicles shall be met by hiring.

(3) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time member who has opted a consolidated salary of Rs. 4,50,000/-per month or 3,75,000/-respectively.

14. Bonus.–The Chairperson and a whole-time member shall not be entitled to any bonus.

15. Sitting Fees and Board's Meetings.– The Chairperson and a whole time member shall not be entitled to any sitting fees for attending meetings of the Board.

16. Encashment of Leave.– The Chairperson or a whole time member shall be entitled to the encashment of leave in accordance with the rules applicable to Group 'A' officers of the Central Government, subject to a maximum encashment of three hundred days, including the leave encashed before superannuation.

17. Facilities for medical treatment.– The Chairperson and a whole-time member shall be covered under the Health Scheme as may be prescribed by the Central Government.

18. Residuary Provisions.– Matters relating to the conditions of service of the Chairperson and a whole-time member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case, to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

19. Terms and Conditions of Services of Part-time Members.– (1) A part-time member shall be a person who shall not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a part-time member.

(2) Every part -time member shall hold office for such period, not exceeding three years, as may be specified in the order of his appointment, but shall be eligible for reappointment.

(3) A part-time member appointed to fill up a casual vacancy, shall hold office for the reminder period of the term of whole-time or part-time member in whose place he is appointed.

20. Fee and Allowances of Part-time Members.- (1) A part-time member shall be entitled to receive remuneration by way of a fee of rupees one thousand only for each meeting of the Board attended by him.

(2) A part-time member while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Board) shall also be entitled to travelling allowance and daily allowances at the same rates and scale as are applicable to an Additional Secretary to the Government of India.

21. Power to Relax.– The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of person.

[F. No. 30/3/2016-Insolvency]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.09.02 15:50:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. .153 (अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड (य घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं दशाएं) नियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं दशाएं) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

2. मूल नियमों में नियम 4 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (4) और नियम 13 के उप नियम (3) में अंक रु. 3,75,000/- के लिए अंक रु. 4,00,000/- प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 30/3/2016-इन्सोल्वेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों का भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 3, उपखंड (I) द्वारा सा.का.नि. 831(अ) तारीख 29 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2018

G.S.R.153.(E).— In exercise of the powers conferred in clause (zd) of the sub-section (2) of section 239 read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force w.e.f. 01.10.2016.

2. In the principal rules, in sub rule (2) of rule 4, sub rule (4) of rule 12 and sub rule (3) of rule 13 for the figure Rs. 3,75,000/- the figure Rs. 4,00,000/- shall be substituted.

[F.No. 30/3/2016-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 831 (E) dated 29th August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.15 14:33:26 +05'30'